राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक :प. 6(4)प्र.सु. / अनु.–3 / 2018 दिनांकः– 10.02.2018

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित विभागों / जिला कलेक्टर कार्यालयों / संभागीय आयुक्त कार्यालयों बाबत अनुतोष प्रदान करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

क.सं.	पदनाम	पद
1	प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
3	शासन सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
4	संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–1)विभाग	सदस्य
5	संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग	सदस्य सचिव

यह समिति लिपिक ग्रेड–II परीक्षा 2013 में चयनित एवं उन्हें आवंटित विभागों / जिला कलेक्टर कार्यालयों / संभागीय आयुक्त कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च, 2018 तक कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों से ऑन लाईन अभ्यावेदन प्राप्त कर मेरिट के आधार पर उनका 30 अप्रेल, 2018 तक निस्तारण करेगी।

समिति का कार्यकाल आवंटित कार्य पूर्ण होने तक रहेगा। उक्त कमेटी का प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग होगा।

10.2.18
(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी, राजस्थान
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4. शासन सचिव, कार्मिक विभाग
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–1) विभाग
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–3)विभाग
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
8. रक्षित पत्रावली संदर्भ सं. प.1(6)प्र.सु. / अनु.3 / 2017

10/2/18
(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी